



पत्रांक-आर/जीएडी/विविध/17/

दिनांक -21 अगस्त, 2019

परिसर-अधिसूचना

विश्वविद्यालय के समस्त निदेशक/संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष को माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि यदि उनके कमरे में अथवा विभिन्न संस्थानों के विभागों/कार्यालयों/प्रयोगशालाओं में वातानुकूलित संयंत्र पूर्व में लगे हुए हैं, जो काफी पुराने/खराब होने के कारण बदलने की स्थिति में हैं तथा उनके स्थान पर नवीन वातानुकूलित संयंत्र लगाने की आवश्यकता हो तो, वे अपने विभागीय/कार्यालयीय फण्ड की उपलब्धता के अनुसार उसी क्षमता का पाँच स्टार रेटिंग का वातानुकूलित संयंत्र वापस खरीद व्यवस्था के तहत (buy-back arrangement) बदल कर लगा सकते हैं। इसके लिए किसी अन्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही विश्वविद्यालय के कोई प्रयोगशाला में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक (Electronic) संयंत्र लगे हुए हैं तथा तापमान को सामान्य रखने हेतु वातानुकूलित संयंत्र की आवश्यकता हो तो, ऐसे प्रयोगशाला प्रभारी अपने विभागाध्यक्ष द्वारा वातानुकूलित संयंत्र की क्षमता निर्धारित कर विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित विभाग में विद्युत क्षमता की उपलब्धता की जानकारी लेने के पश्चात उसी क्षमता का वातानुकूलित संयंत्र (पाँच स्टार रेटिंग का) अपने विभागीय बजट के उपलब्धतानुसार लगा सकते हैं। परन्तु सम्बन्धित प्रयोगशाला प्रभारी/विभागाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के अनुमोदित बिजली दर के आधार पर वातानुकूलित संयंत्र (Air-Conditioner) की क्षमता के प्रति टन (Ton) के हिसाब से प्रतिमाह एक निर्दिष्ट राशि ₹ 2000/- के दर से मार्च से अक्टूबर माह तक का भुगतान Recovery Section, F.O. BHU को प्रति वर्ष करना होगा। उपरोक्त की सूचना सामान्य प्रशासन (GAD), विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग (EWSS) व Recovery Section, BHU को उपलब्ध कराना होगा।

डी. एम. विचार्य

सहायक कुलसचिव 21/8/19  
सामान्य प्रशासन


पत्रांक-आर/जीएडी/विविध/17/ 25292/25312

दिनांक - 21.08.2019

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त संस्थानों के निदेशक/समस्त संकायों के संकाय प्रमुख/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/अनुभाग/इकाई,
2. निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी
3. प्राचार्या, महिला महाविद्यालय
4. समस्त विद्यालयों/कालेज के प्राचार्य/प्राचार्या,
5. समस्त समन्वयक/प्रशासनिक संरक्षक/संरक्षक,
6. आचार्या प्रभारी, रा.गा.द.प. (बरकछा),
7. मुख्य आरक्षाधिकारी,
8. वित्ताधिकारी,
9. छात्र अधिष्ठाता,
10. डॉ० के०पी० उपाध्याय, वरिष्ठ सलाहकार (प्रशासन, वित्त एवं परीक्षा)
11. अधीक्षण अभियन्ता, विश्वविद्यालय निर्माण विभाग,
12. परीक्षा नियन्ता,
13. समन्वयक, संगणक केन्द्र को इस निवेदन के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वैबसाइट पर अपलोड करें।
14. समस्त स्कूलों/केन्द्रों के समन्वयक,
15. चिकित्सा अधीक्षक, सर सुन्दरलाल चिकित्सालय,
16. आचार्य प्रभारी, ट्रॉमा सेन्टर, चिकित्सा विज्ञान संस्थान
17. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
18. समस्त संयुक्त कुलसचिव/उप-कुलसचिव/सहायक कुलसचिव/हिंदी अधिकारी/विधि अधिकारी,
19. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभाग,
20. सहायक कुलसचिव एवं कुलपति जी के सचिव,
21. प्रशिक्षण एवं स्थानन अधिकारी
22. समस्त छात्र सलाहकार,
23. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक,

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।



डी. एम. विचार्य

सहायक कुलसचिव 21/8/19

(सामान्य प्रशासन)

Varanasi 221005, U.P., INDIA

T : 91-542-2368903,

F : 91-542-2369100

Web : www.bhu.ac.in

HM  
Cred  
21-8-19



BHU

